अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225RTA प्रज्ञा बनाम अर्जुन व अन्य

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2023/207 R3 स्पे. 43 अनु R3 फौरन

श्री मुकेश चौधरी श्री भंवर लाल चौधरी

प्रज्ञा बनाम अर्जुन वगैरह (207/2023)

1.10.24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 25.07.2024 को प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील खारिज फरमाये जाने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद के समक्ष दिनांक 09.05.2024 को मूल वाद संख्या 554/2023 बनवानी प्रज्ञा बनाम अर्जुन व अन्य को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया है, इसलिए अपील सारहीन हो चुकी है खारिज की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद के समक्ष विचाराधीन मूल वाद–पत्र दिनांक 09.05.2024 को खारिज किया जा चुका है। चुंकि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है, जो मूल वाद–पत्र के निस्तारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner